फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता गोपीलाल जोशी नि0 उथनोल तहसील नाथद्वारा हॉल मुकाम इन्दोर
– अपीलांट

बनाम

1. श्री दिनेश पिता स्व. भैरूलाल ब्राहम्ण
2. श्री चन्द्रलाल पिता स्व. भैरूलाल ब्राहम्ण
   निवासीयान उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

– रेस्पोडेन्ट

किस्म मुकदमा– नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या 14/2017**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.08.2019 अपीलांट ने तहसीलदार, नाथद्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 620 दिनांक 25.01.1996 के आदेश से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 10.07.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिसके साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त अपील के पक्षकारो के मध्य पूर्ववत अपील में उक्त अपील के विवाद विषय पर प्रकरण का सक्षम न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है तथा पूर्ववर्ती अपील में अंतिम रूप से विनिश्चिय किया जा चुका है। उक्त अपील विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा प्रकरण संख्या 12/2000 अपील छगनलाल बनाम दिनेश चन्द्र वगैराह मे निर्णय दिनांक 17.09.2001 की प्रमाणित प्रति पेश की है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट के तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया है कि उक्त अपील के पक्षकारों के मध्य पूर्ववत अपील में उक्त अपील के विवाद्यक विषय पर प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारन नहीं किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत अपील में अन्य नामान्तरण संख्या को सम्मिलित करते हुए अपीलांट का हित प्रभावित होने से रिलीफ मांगी गई थी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत अपील में अंतिम रूप से विनिश्चिय नहीं किया गया। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अपने अधिकारों के लिए नियमित वाद दायर कर विचारन के लिए स्वतंत्र किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दोहरा लाभ उठाने व प्रकरण को लम्बा करने की वजह से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में खमाणीबाई द्वारा श्री भैरूलाल के गोद चले जाने की ताईद पंजीबद्ध दानपत्र द्वारा होना माना है। अपील में विवाद विषय पर कोई अंतिम विनिश्चिय डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की मौखिक बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.1996 तहसीलदार, नाथद्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 620 को अपीलांट ने न्यायालय	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के यहां पर अपील संख्या 12/2000 नामान्तरण अपील छगनलाल बनाम दिनेश वगैराह प्रस्तुत कर दिनांक 17.09.2001 को उक्त नामान्तरण अपील गुणावगुण पर उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा निर्णित करते हुए तहसीलदार, नाथद्वारा के नामान्तरण आदेश दिनांक 25.01.1996 की पुष्ठि की है और उसी नामान्तरण आदेश को श्रीमान के यहा पर अपील पेश कर चुनौती दी गयी है। जबकि इसका विनिश्चिय पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा नामान्तरण अपील मे किया जा चुका है। इसलिए उक्त अपील कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील खारिज फरमाया जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागु नहीं होते है। उक्त अपील के पक्षकारों के मध्य पूर्ववत अपील में उक्त अपील के विवाद्यक विषय पर प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारन नहीं किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत अपील में अन्य नामान्तरण संख्या को सम्मिलित करते हुए अपीलांट का हित प्रभावित होने से रिलीफ मांगी गई थी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत अपील में अंतिम रूप से विनिश्चिय नहीं किया गया। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अपने अधिकारों के लिए नियमित वाद दायर कर विचारन के लिए स्वतंत्र किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दोहरा लाभ उठाने व प्रकरण को लम्बा करने की वजह से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में खमाणीबाई द्वारा श्री भैरूलाल के गोद चले जाने की ताईद पंजीबद्ध दानपत्र द्वारा होना माना है। अपील में विवाद विषय पर कोई अंतिम विनिश्चिय डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन विचार किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 620 दिनांक 25.01.1996 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12/2000 में उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के यहां पर अपील प्रस्तुत कर उसका विनिश्चिय कर दिनांक 17.09.2001 को करते हुए अपीलांट की अपील खारिज की गयी है। तथा तहसीलदार, नाथद्वारा के आदेश दिनांक 25.01.1996 की पुष्ठि की गयी है। अपीलांट ने उसी नामान्तरण को इस न्यायालय मे पुनः नये सिरे से अपील पेश कर चुनौती दी है। जबकि पूर्व यह नामान्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चिय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)